



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक -23.08.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्वेक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान० न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है -

प्रकरण- अभियुक्त राहुल पुत्र बाबूराम दोहरे निवासी मोहल्ला सुभाष नगर कस्बा व थाना रामपुरा जनपद जालौन द्वारा गजेन्द्र दोहरे पुत्र श्री महाराज सिंह निवासी कस्बा व थाना रामपुरा की हत्या कारित करने की घटना में वादी महाराज सिंह पुत्र स्व० रामस्वरूप निवासी मो० तलाटोला कस्बा व थाना रामपुरा जनपद जालौन की तहरीर के आधार पर थाना रामपुरा में मु०अ०सं० 355/13 (वाद संख्या- 170/17) धारा 302 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 21.08.2024 को मा० न्यायालय एडीजे प्रथम उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राहुल उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन सश्रम कारावास एवं 50,000/- हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।